अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 42 - DIRECT TAXES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	2975,85,00	2991,57,00	2978,85,23	-12,71,77
पूरक	Supplementary	15,72,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,12,88
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –		905,70,00	260,99,55	-644,70,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				641,72,98

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1271.77 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1572.00 लाख के पूरक अनुदान का 81 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹1271.77 lakhs) constituted 81 percent of the supplementary grant of ₹1572.00 lakhs obtained in March, 2012 and half percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	290145.00	291365.12	290444.66	-920.46
पू.	S.	1533.00			
पु.	R.	-312.88			

(I) "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत बचतें लिनम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" - ₹706.17 लाख की बचत (₹10347.15 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और अदालती मामलों और विधि सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "आसूचना" - ₹552.94 लाख की बचत (₹3285.15 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया संशोधन संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और कम खोज एवं जब्ती की कार्रवाई होने के कारण हुई।

(II) "संग्रहण प्रभार - आयकर" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "आयुक्त और उनके कार्यालय" - ₹24145.50 लाख की बचत (₹274115.78 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्यालय का स्थानांतरण निजी आवास से सरकारी स्वामित्व वाले भवन में किए जाने और किराया संशोधन संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का क्षेत्रीय लेखा कार्यालय" - ₹126.48 लाख की बचत (₹3579.70 लाख के स्वीकृत प्राधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा व्यय के कम दावे प्राप्त होने, प्रकाशन की कम अधिप्राप्ति, अदालती मामले, कानूनी सेवाएं और परामर्श कम संख्या में होने और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹24295.22 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि - "निदेशन और प्रशासन - संगठन और प्रबंधन सेवाएं" के अंतर्गत अनुदानों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹24107.72 लाख था।

(I) Under "Direction and Administration" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Research, Statistics and Publication" - saving of ₹706.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10347.15 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of rewards cases and requirement of less funds towards court cases and legal services.

(B) "Intelligence" – saving of ₹552.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3285.15 lakhs) was due to non- finalisation of rent revision cases and less search and seizure operations.

(II) Under "Collection Charges- Income Taxes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Commissioners and their offices".- saving of ₹24145.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹274115.78 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, shifting of offices from private accommodation to Government owned buildings and non-finalisation of rent revision cases.

(B) "Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" - saving of ₹126.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3579.70 lakhs) was due to receipt of less claims towards medical reimbursement and travel expenses, less procurement of publication, less number of court cases, legal services and consultancy and requirement of less funds towards IT related projects.

2. The above savings were partly (₹24295.22 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under - "Direction and Administration - Organisation and Management Services". Actual excess, however, was ₹24107.72 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	87770.00	25938.42	25652.67	-285.75
पु.	R.	-61831.58			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2700.00	317.60	318.19	+ 0.59
पु.	R. -	- 2382.40			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - बने बनाए आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹62117.33 लाख की बचत (₹87770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation"- saving of ₹62117.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹87770.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of properties.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन - बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹2381.81 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद संबंधी प्रस्तावों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready built Flats" - saving of ₹2381.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to non-clearance of proposals for purchase of properties.